

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:- एफ 4(232) वित्त-1(1)आ.व्यय/2011/
संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान।

जयपुर दिनांक:- 20-02-2013

(स्वीकृति संख्या- 711/2012-13)

विषय:-वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त. पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 186()परावि. /लेखा/हडको/ब्याज/ 2011-12/896 दिनांक 19.02.2013 (प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 30/2012-13) में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कुल राशि रु 3209.02 लाख (अक्षरे रूपये बत्तीस करोड़ नौ लाख दो हजार मात्र) रूपये निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

—:व्यय निम्नानुसार विकलेय है:-

मांग संख्या-41

(राशि लाख रु. में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(25)-ग्रामीण बी.पी.एल. आवास

[01]-सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना

1931.83

मांग संख्या-51

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(25)-ग्रामीण बी.पी.एल. आवास

[02]-विशिष्ट संघटन योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना

736.79

मांग संख्या-30

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(25)-ग्रामीण बी.पी.एल. आवास

[03]-जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना

540.40


योग- 3209.02

(अक्षरे रूपये बत्तीस करोड़ नौ लाख दो हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना मद दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।


भवदीय



20.02.13
संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों संहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त सचिव, वित्त (बजट)